

कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर
 क्रमांक:-शिविरा-प्रारं/बजट/बी-5/9965/2016-17/23 दिनांक:- 13/5/16

ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी
 पंचायत समिति- दोवडा(डूंगरपुर)

ऑफिस आईडी - 32969

विषय:- चिकित्सा मद में विशेष बजट आवंटन के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार मांग संख्या 24 के तहत बजट मद 2202-सामान्य शिक्षा, 01-प्रारंभिक शिक्षा, 197-ब्लॉक स्तर/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतो को सहायता (07)-निरीक्षण, [01]-स्थापना व्यय, 04-चिकित्सा व्यय (आयोजना व्यय) अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए निम्नानुसार कार्यालय को सामान्य/गम्भीर रोग से ग्रसित कार्मिक के बकाया चिकित्सा पुनर्भरण हेतु राशि का आवंटन किया जा रहा है। राशि का उपयोग सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम 2008/2013 के अनुसार किया जावे।

क्र. सं.	IFMS CODE	बीईईओ कार्यालय का नाम	04-चिकित्सा व्यय में आवंटित राशि रूपयों में	विशेष विवरण
1.	32969	दोवडा (डूंगरपुर)	93331	श्री रमेश चन्द्र जोशी बीईईओ दोवडा(डूंगरपुर) के स्वयं के उपचार में व्यय राशि पुनर्भरण हेतु आवंटन किया जा रहा है।
योग			93331	

(अंके रूपये तेरयान्चे हजार तीन सौ ईक्कतीस मात्र)

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.5(थ-75) कोष/IFMS/कोषालय/23484-23623 दिनांक 13.12.2013 के तहत IFMS अंतर्गत कोषालय से प्रत्येक माह की 1 से 10 तारीख तक बुक किये आय-व्यय के आंकड़ों का मिलान 14 तारीख तक एवं 11 तारीख से माह के अन्त तक बुक किये गये आंकड़ों का मिलान आगामी माह की 3 तारीख तक आवश्यक रूप से किया जावे।

उपरोक्त राशि का आवंटन इस शर्त के साथ जारी किया जा रहा है, कि राशि का भुगतान संबंधित कर्मचारी को चिकित्सा पुनर्भरण नियमानुसार करने का दायित्व संबंधित अधिकारी का होगा। यदि अधिक भुगतान होता है तो वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक F9(14)fd\rules\2005pt जयपुर दिनांक 22.07.2014 के अनुसार रिकवरी सुनिश्चित करें।


 लेखाधिकारी
 प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान
 बीकानेर

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हक राजस्थान जयपुर।
2. सिस्टम एनालिस्ट(संयुक्त निदेशक), माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर।
3. सहायक लेखाधिकारी, अंक मिलान अनुभाग/योजना अनुभाग।
4. रक्षित पत्रावली।


 लेखाधिकारी

कार्यालय निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा-प्रारं/बजट/बी-5/9766/2016-17/4

दिनांक:- 13/5/16

प्रधानाचार्य,
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान,
(डाईट)-चूनावट,श्रीगंगानगर

OFFICE I.D. - 1528

विषय:-वित्तीय वर्ष 2016-17 में चिकित्सा व्यय अन्तर्गत राशि आवंटन।
प्रसंग:-शासन उप सचिव,प्राशि.जयपुर का पत्रांक प.5(16)प्रा.शि./2014
दिनांक 11.02.2016 एवं इस कार्यालय का पत्र क्रमांक
शिविरा/प्रार/बजट/बी-3/9711/2015-16/99 दि. 19.2.16

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार मांग संख्या-24 के तहत लेखामद 2202-सामान्य शिक्षा, 80-सामान्य, 003-प्रशिक्षण, (03)-जिला शिक्षा और प्रशिक्षण विद्यालय, [00]-सामान्य व्यय, 04-चिकित्सा व्यय (आयोजना व्यय) अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए राशि रूपये 2,66,481/- (रूपये दो लाख छियासठ हजार चार सौ इक्यासी मात्र) का आवंटन श्री सहीराम, व्याख्याता के गम्भीर रोग उपचार पर हुए व्यय के पुनर्भरण हेतु किया जाता है।

उक्त राशि का आवंटन प्रासंगिक पत्र द्वारा प्राप्त सक्षम स्वीकृति अनुसार श्री सहीराम, व्याख्याता के गम्भीर रोग उपचार पर हुए व्यय के पुनर्भरण हेतु इस कार्यालय के पत्र दिनांक 19.02.16 द्वारा किया गया। आपने अपने पत्र दिनांक 10.05.16 द्वारा अवगत करवाया है कि वित्त विभाग द्वारा राशि फीज कर दिये जाने के कारण राशि का आहरण नहीं किया जा सका।

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.5(थ-75)कोष/IFMS/कोषालय/23484-23623 दिनांक 13.12.2013 के तहत आई.एफ.एम.एस के अन्तर्गत कोषालय द्वारा प्रत्येक माह की 1 से 10 तारीख तक बुक किये गये आय व्यय के आंकड़ों का मिलान 14 तारीख तक एवं 11 तारीख से माह के अन्त तक का मिलान आगामी माह की 3 तारीख तक आवश्यक रूप से किया जाये।

उपरोक्त राशि का पुनः आवंटन इस शर्त के साथ जारी किया जा रहा है कि यह सुनिश्चित किया जावे कि उक्त राशि का भुगतान पूर्व में नहीं किया गया है। सम्बन्धित कर्मचारी को चिकित्सा पुनर्भरण नियमानुसार करने का दायित्व सम्बन्धित अधिकारी का होगा। यदि अधिक भुगतान होता है जो वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.9(14)एफ.डी./रूल्स/2005/पार्ट जयपुर दिनांक 22.07.2014 के अनुसार रिकवरी सुनिश्चित करें।


लेखाधिकारी,

प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हक राजस्थान जयपुर।
2. सिस्टम एनालिस्ट(संयुक्त निदेशक), माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर।
3. सहायक लेखाधिकारी, अंक मिलान अनुभाग।
4. रक्षित पत्रावली।


लेखाधिकारी